COURT OF ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-I, JAMUI

District & Addl. Sessions Judge-I-Cum-Special Judge Sc & St., Jamui.

B.A. No. 405/2026

Jamui P.S. case no. 253/2026

Md. Imtiyaz @ Md. Imtiyaz Khan & Other Vs. State of Bihar

01.07.2026 जमुई थाना कांड सं0–253/2026, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(2), 191(3), 190, 126(2), 115(2), 118(1), 109(1), 303(2), 352, एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 27 से संबंधित है, के अभियुक्त **मो0 इमतियाज उर्फ मो0 इमतियाज खान,** लगभग उम्र 38 वर्ष, पिता मो0 उमर उर्फ मरूहम उमर खान, निवासी ग्राम–महिसौड़ी, थाना व जिला जमुई की ओर से दाखिल नियमित जमानत आवेदन पर आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

कांड के सूचक सलीम पे0 हमीद द्वारा थानाध्यक्ष जिला जमुई को दिये गये लिखित आवेदन के अनुसार अभियोजन कथानक साररूप से इस प्रकार है कि दिनांक 27.05.2026 समय लगभग शाम 5:30 से 6:00 बजे के बीच वह अपने घर पर था। इसी बीच मो0 इमतियाज, मो0 गब्बर, मो0 साहिल, मो0 जिशान, मो0 आर्यन सभी लोग षडयंत्र रचकर उसके घर के पास आकर उन लोगों को जोर जोर से गाली गलौज दे रहे थे। इन लोगों की आवाज सुनकर वह एवं उसका बड़ा भाई मो0 हाशिम घर से निकले और उन लोगों से कहा कि आप सभी लोग घर पर आकर गाली गलौज क्यों कर रहे है? जिस पर उपरोक्त सभी लोगों ने कहा कि जमुई थाना कांड सं0–601/2025 को उठाओ अन्यथा तुम लोगों को आज हत्या कर देंगे। आगे उन लोगों ने कहा कि इस केश के कारण हम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। हाईकोर्ट से बेल लेना पड़ा है। जब हम ने उनकी बातों का विरोध किया और बचाव किया तो मो0 साहिल कमर से पिस्टल निकाल लिया और भय और दहशत फैलाने और जान से मारने की नियत से दो बार फायर किया **उसके बाद मो0 इमतियाज लोहे के रड से जान मारने के नियत से उस पर हमला कर दिया इसके मार से उसका सर फट गया और वह लहुलोहान हो गया।** उसके बाद मो0 गब्बर जान मारने के नियत से उसके भाई मो0 हाशिम के सर पर डंडा से जानलेवा हमला कर दिया जिससे हाशिम का कंधा और पैर पर गम्भीर चोट आयी और दोनों भाई का इलाज सदर अस्पताल जमुई में हुआ और उसके पॉकेट में दस हजार रूपया था उस पैसे को जबरन मो0 जिशान निकाल लिया और मो0 आर्यन ईटा पत्थर चलाने लगे और लत्तम घुसी करने लगे। हो हल्ला हुआ काफी लोग जुट गये तब हम लोग घटनास्थल से फरार हो गया।

जमानत आवेदन में साररूप से कथन किया गया है कि आवेदक अभियुक्त की ओर से इस जमानत आवेदन के अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन किसी अन्य न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया। जमानत आवेदन में स्वीकार किया गया है कि **आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व से दो कांड जमुई थाना कांड सं0–409/2024 एवं 601/2025 लंबित है।** जमानत आवेदन में आगे कथन किया गया है कि आवेदक अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष हैं तथा उसने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है। जमानत आवेदन में आगे कथन किया गया है कि यह मामला जमुई थाना कांड सं0 254/2026 का पल्टा वाद है। आवेदक अभियुक्त को दुश्मनी के कारण झूठा फंसाया गया है। आवेदक अभियुक्त दिनांक 01.06.2026 से काराधीन है।

आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत आवेदन में उल्लिखित आधार पर आवेदक अभियुक्त को जमानत प्रदान करने का अनुरोध किया।

विद्वान अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध किया।

मैंने अभिलेख संहित कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त पर सूचक सलीम का सिर लोहे के रड से फोड़ने का आरोप है। कांड दैनिकी के

पैरा–2 में कांड के सूचक सलीम का पुनः बयान तथा कांड दैनिकी के पैरा–52, 53, एवं 54 में साक्षी मो0 मंटू, मिन्टू एवं मो0 नौशाद का बयान दर्ज है। सूचक संहित इन तीनों साक्षियों ने सार रूप से प्राथमिकी का समर्थन किया है। कांड दैनिकी के साथ कथित जख्मी मो0 सलीम का जख्म प्रतिवेदन संलग्न है, जो निम्न प्रकार हैः–

i. Abrasion 1cmx1cm on the left forearm.
ii. Abrasion 0.5cmx0.5cm on the nose.
iii. Abrasion 0.5cmx0.5cm on the left of the forehead.
iv. Lacerated wound size (4cmx2cmx deep scalp) on the parietal region.

NCCT Head- Linear fracture is noted on the right high parietal region.

जमानत आवेदन के समर्थन में सुनवायी के क्रम में थाना जमुई प्राथमिकी सं0–254/26 की प्राथमिकी, आरोप पत्र एवं कांड दैनिकी इस तथ्य के समर्थन में दाखिल की गयी कि आवेदक अभियुक्त मो0 इम्तियाज संहित अन्य के साथ इस कांड के सूचक मो0 सलीम संहित अन्य ने मारपीट की थी, जिसमें मो0 गब्बार, मो0 जिसान, **मो0 इम्तियाज** (आवेदक अभियुक्त) एवं आसफा पुत्री मो0 अफताब उर्फ गब्बर जख्मी हुए थे। मेरे विचार से ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों पक्षों के मध्य परस्पर मारपीट हुई है तथा यह भी स्पष्ट है कि दोनों पक्षों के लोग जख्मी हुए हैं। आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त पर प्रहार की पुनरावृति का आरोप नहीं है, जिसकी पुष्टि प्राथमिकी एवं साक्षियों के बयान से होती है, किंतु आवेदक अभियुक्त पर सिर पर मारने का आरोप है तथा सिर पर फ्रेक्चर (Fracture) पाया गया है, जो प्राण घातक भी हो सकता है। मामला अभी अनुसंधान क्रम में है। अतः मेरे विचार से इस अवस्था में आवेदक अभियुक्त, जिस पर लोहे के रड से मारने का आरोप है, को जमानत प्रदान करना न्यायोचित नहीं है। अतः जमानत का यह आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, जमुई।

प्रति– विद्वान न्यायालय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, जमुई।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, जमुई।